राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1051/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
आर एल गर्ग म.न. 7/158, विधाधर नगर, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपनिदेशक जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन, लि. जयपुर, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 27-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नीरज नरूका, कार्यकारी निदेशक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-5-17 के द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 द्वारा विभिन्न भर्तीयों हेतु निकाले गये विज्ञापन दिनांक 1-2-17 एवं उसके सन्दर्भ में साक्षातकार हेतु पदवार बुलाये गये अभ्यार्थीयों आदि के संबंध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 10-7-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 12-6-17 से संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना शून्य है। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी के आवेदन में अंकित विज्ञापन दिनांक 1-2-17 प्रत्यर्थी द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया अतः चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध नहीं होने की सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है एवं सुनवाई के दौरान पत्र दिनांक 27-3-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। हस्तगत अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त